ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति शकुन्तला देवी	01.04.22 से 31.03.2024 तक

सचिव :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री फतेह चन्द	01.04.22 से 31.03.2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर का समाधान न करने बारे	0.30
2	5 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	30.40
3	6 (क)	पंचायत राजस्व गृह कर की प्राप्त योग्य राशि की वसूली न करना	0.54
4	7	निर्माण कार्यों हेतु क्रय किए गए स्टील की कम खपत करने के कारण अनियमित व्यय करने बारे ।	1.22
5	8	सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके निर्माण कार्यों व सामग्री पर व्यय करने बारे ।	34.00
6	9 (ख)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर द्वारा खनन/निर्माण सामग्री के एवज में फॉर्म 'X' या 'W' प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप राजकोष को सम्भावित हानि।	0.95

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा

दिनांक 14.10.2024 से 23.10.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	03/23	05/22
2023-24	02/24	03/24

अस्वीकरण :- अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 6400/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 11 दिनांक 23.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रोत व अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रोतों व कुछ अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (2)** में संलग्न है :-

Financial position of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2876928.00	5759956.00	8636884.00	6434467.00	2202417.00
2023-24	2202417.00	5156725.00	7359142.00	4858070.00	2501072.00

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्वः स्रोत व अन्य अनुदान :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	2501072.00
कुल योग	**2501072.00**
दिनांक 31.03.24 को हस्तगत रोकड़ राशि का अंत शेष	777.00
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष **(परिशिष्ट - 3)**	2530346.50
कुल योग	**2531123.50**
अंतर की राशि	**-30051.50**

(ii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (4)** में संलग्न है :-

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1456515.00	1996885.00	3453400.00	509611.00	2943789.00
2023-24	2943789.00	530626.00	3474415.00	434830.00	3039585.00

15 वां वित्तायोग :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	3039585.00
जमा : दिनांक 20.05.2023 को नीरत राम से वसूल की गयी राशि को 31.03.2024 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	6240.00
कुल योग	**3045825.00**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष (परिशिष्ट - 3)	3045825.00
अंतर की राशि	**0.00**

(iii) SBM (परिशिष्ट -5)

Financial position of SBM (SNA A/c) of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	0.00	671605.00	671605.00	671605.00	0.00
2023-24	0.00	371448.00	371448.00	371448.00	0.00

(iv) एम जी नरेगा (परिशिष्ट -6)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	0.00	1930348.16	1930348.16	1930348.16	0.00
2023-24	0.00	1826519.35	1826519.35	1826519.35	0.00

4.1 E- Gram swaraj में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹0.30 लाख का समाधान न करने बारे ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न

एप्लीकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना था। पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **E-Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही कुल प्राप्तियाँ व कुल खर्चो को दर्ज किया गया था परंतु बैंक खातों में से मिलान नही किया गया था । इस प्रकार **E- Gram swaraj** एप्लीकेशन के अंतर्गत दर्ज आंकड़ो का वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ो से मिलान न होने पर बैंक शेष व **E- Gram swaraj** रोकड़ वही मे अंतर के कारण **E- Gram swaraj** रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ो के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी इस एप्लीकेशन को परिपूर्ण करने का उद्देश्य निष्फल रहा तथा रोकड़ बही व प्रिआसॉफ्ट/e-Gram Swaraj में लेखो के सही होने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती। अत: ग्राम पंचायत की **E- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में कुल **₹30051.50** का अंतर पाया गया जिसका पंचायत द्वारा समाधान नहीं किया गया था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 04 दिनाँक 16.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खातो व रोकड़ बही का मिलान नियमानुसार किया जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 स्व: स्त्रोत के पृथक पंचायत निधि खाता "क" न खुलवाने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 4 (i) के अनुसार ग्राम पंचायत के अपनी आय (स्व: स्त्रोत) के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाएगा | यह खाता पंचायत निधि खाता –"क" के रूप में

जाना जाएगा तथा' सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियों के लिए पृथक खाता खोला जाएगा, जो पंचायत निधि खाता –"ख" के रूप में जाना जाएगा । अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व: स्त्रोत) के लिए पृथक बैंक खाता नही खोला गया था जबकि अनुदानों और सभा निधि का रख-रखाव एक ही खाते में किया गया था तथा सभा निधि से सम्बधित आय व्यय को अनुदानों बाले खाते से ही प्राप्ति एवं भुगतान किया जा रहा है जो कि उक्त नियम के विपरीत है | इससे सभा निधि के सही आय व्यय का पता लगाना कठिन है व न ही अनुदान राशियों के उपयोग होने का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 08 दिनाँक 18.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा शीघ्र ही अपनी आय (स्व: स्त्रोत) के लिए पृथक खाता खोला जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि सभा निधि में प्राप्त आय की गणना के उपरांत सभा निधि के लिए खाता (क) का अलग से रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

5 (क) 15 वां वित्तायोग से प्राप्त अनुदान ₹30.40 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक 15 वां वित्तायोग से प्राप्त अनुदान से ₹ 30,39,585.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी । जिसका विस्तृत विवरण **पैरा संख्या 4 (ii)** में दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः 15 वां वित्तायोग की अनुपयुक्त अनुदान राशि को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान राशियों का अलग से पृथक बैंक खाता न रखने बारे :-

अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त होने बाले अनुदानों के लिए पृथक बैंक खाता नही खोला गया था जबकि पंचायत द्वारा अनुदानों और सभा निधि का रख-रखाव एक ही खाते (मिश्रित रूप) में किया गया था जो कि उक्त नियम के विपरीत है इससे अनुदान राशियों के उपयोग होने तथा शेष राशि का पूर्ण विवरण प्राप्त नही होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया गया था जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि किस शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी राशि व्यय की गयी थी। परिणामस्वरूप यह ज्ञात करना कठिन है कि वर्ष 2023-24 में अनुदान की कितनी राशि उपयोग हेतु शेष थी । इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 09 दिनाँक 19.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।अत : परामर्श दिया जाता है कि अनुदान राशियों व सभा निधि को एक खाते में न रख के अलग-अलग खाते का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है । अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 0.54 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (7)** अनुसार **₹53700** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्व : स्त्रोत से प्राप्त आय ₹0.23 लाख की राशि को पंचायत निधि में जमा न करके व्यय करने बारे ।

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय के रूप में वसूली की गयी राशि ₹23230.00 को पंचायत निधि में जमा करवाए बिना ही व्यय किया गया था जबकि हि०प्र० वित्त नियमावली 2009 के नियम 3 अनुसार उपरोक्त राशियों को निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा इन राशियों को निधि में जमा कराए बिना ही खर्च कर दिया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

रोकड़ से व्यय की गयी राशि			
वर्ष	**प्राप्ति**	**रोकड़ से व्यय राशि**	**जमा बैंक**
2022- 23	43712	13065	29934
2023-24	56014	10165	45900
योग	**99726**	**23230**	**75834**

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त की गई समस्त राशियों को लेखाबद्ध करके बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें व उपरोक्त पाई गई त्रुटि को न दोहराया जाए।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 2000 की कम वसूली करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए **₹** 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹ 2000** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या / दिनांक	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तारीख	विवाह पंजीकरण की तारीख	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूल की गयी राशि (₹)	कम प्राप्त राशि (₹)
1	2011648/15/09/22	Ganga Ram S/o Gyan Chand	10/08/22	15/09/22	400	200	200

2	201649/31/10/22	Dharam Chand S/o Thakur Dass	26/09/22	31/10/23	400	200	200
3	201853/13/06/22	Jhabe Ram S/o Dharam Dass	04/05/22	13/0622	400	200	200
4	201854/20/06/22	Sher Singh S/o Ram Chand	23/09/19	20/06/22	400	200	200
5	Nil	Gulab Chand S/o Dharam Chand	18/08/23	08/09/23	200	0	200
6	Nil	Sanjeev Kumar S/o Budhi Singh	24/10/23	16/11/23	200	0	200
7	009089/8/3/24	Dev Dyal S/o Chove Ram	01/01/24	08/3/24	400	200	200
8	009091/19/0324	Chaman Lal S/o Ved Ram	07/02/24/	19/03/24	400	200	200
9	Nill	Pratap Chand S/o Dharm Chand	01/05/2011	14/02/24	400	0	400
		Total			**3200**	**1200**	**2000**

सचिव ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व तत्पश्चात सम्बन्धित विभाग के आय शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करके, अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधियाचना संख्या :- एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संसोधन) नियम 2016) के बिन्दु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नगद द्वारा या Money ओर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और एसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के अभिलेखों की पड़ताल एवं उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार पंचायत को वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **परिशिष्ट -8** अनुसार ₹5000 की राशि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी । नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण से प्राप्त राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में राजकीय कोष के शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण से प्राप्त राशि को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा नहीं करवाया जा रहा है । उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि 04/2022 से 03/2024 तक ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । सचिव ग्राम पंचायत

डुंखरीगाहर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 05 दिनाँक 16.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को शीघ्र ही संबन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः विवाह पजीकरण शुल्क को सम्बन्धित विभाग को प्रदान न करने का कारण व हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संसोधन) नियम 2016 की अनुपालना न करने का कारण लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए व इस राशि को उपरोक्त दिए गए आश्वासन अनुसार जमा करवा करके, अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

(ड) गृहकर से प्राप्त आय ₹1000 की राशि को रोकड़ बही /पंचायत निधि में कम जमा करने बारे

अवधि 4/22 से 3/24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न रसीदों के द्वारा गृहकर शुल्क के रूप में ₹ 1000 की राशि को न ही पंचायत की रोकड़ बही में दर्ज किया गया था न ही बैंक खाते में जमा किया गया था जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा साथ ही सरकारी धनराशि के गबन की संभावना को भी दर्शाता है ।

रसीद संख्या	**आय शीर्ष**	**प्राप्त राशि**	**रोकड़ बही में दर्ज राशि**	**कम जमा राशि**
009301 से 009375	गृहकर	20800	19800	1000
योग				**1000**

सचिव ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गृहकर शुल्क की कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि

को नहीं दोहराया जाएगा । अत : उपरोक्त धनराशि को बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. निर्माण कार्यों हेतु क्रय किए गए स्टील की कम खपत करने के कारण ₹1.22 लाख का अधिक व अनियमित व्यय करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरो की पड़ताल में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न विवरणानुसार विभिन्न कार्यों हेतु स्टील की खरीद की गयी थी । जबकि संबन्धित कार्य की माप पुस्तिका की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत द्वारा जितना स्टील उस कार्य को करने के लिए क्रय किया गया था उससे कम की खपत माप पुस्तिका में दर्ज की गयी थी। परिणामस्वरूप इन कार्य को करने हेतु जितने स्टील की अवश्यकता थी उससे अधिक स्टील क्रय किया गया था तथा जोकि शेष बची स्टील सामग्री को MAS रजिस्टर अथवा स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज नहीं पाया गया अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है साथ ही सरकारी कार्य हेतु क्रय की सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है ।

Sr. No.	Bill No/Date	Work Name	MB No/Page No	Item Name	Total Weight As per Bill (KG)	Total Weight As per MB (KG)	Excess Steel Purchase (KG)	Item Rate	Total Excess Steel Amount
1	**755/ 08.06.22**	C/o Steel Foot bridge Fanayani GP Dunkhrigahar	470/60-63	Joists,Channel,Angles & Sheets	3233.2	2529.43	703.77	107.4	75584.9
2	**754/ 08.06.22**	C/o Steel Foot bridge Bagga at Village	470/56-60	Joists,Channel,Angles & Sheets	2340	2970.61	434.69	107.4	46685.71

		Dunkhri							
3	**575/ 25.05.22**	C/o Steel Foot bridge Bagga at Village Dunkhri	470/56-60	Joists, Channel, Angles & Sheets	1065.3				
		Total							**122271**

सचिव ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इन कार्यों की जांच की पंचायत स्तर पर कर दी जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : निर्माण कार्य हेतु अवश्यकता से अधिक ₹122271 की क्रय की गई सामग्री की उपयोगिता के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा आवश्यकता से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली अचित स्त्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके ₹34.00 लाख की सामग्री पर व्यय करने बारे ।

सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या file No –RDD-XEN-/2018 –e-tendring दिनांक जुलाई 2018 के अनुसार ₹5.00 लाख से अधिक के सामान को क्रय करने व निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **परिशिष्ट-9** अनुसार कुल ₹3400000/- के निर्माण कार्य जिनका स्वीकृत मूल्य ₹ 5.00 लाख व उससे अधिक था उस कार्य का निष्पादन करने हेतु E-Tendering को avoid करके पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया

गया था , जोकि विकासात्मक कार्य में अनावश्यक देरी व व्यक्तिगत लाभों की संभावना को परिलिक्षित करता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 06 दिनाँक 12.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे में नियम की जानकारी न होने के कारण राशि का व्यय कर लिया गया था परंतु भविष्य में इस नियम का ध्यान रखा जाएगा व त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत : E-Tendering (ई-टेंडरिंग) की प्रक्रिया को न अपना करके पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया था तथा ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष/व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर जाँच-पड़ताल की जाए कि कहीं परिशिष्ट-9 पर दर्शाए गए प्रकरणों में किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचकर अधिक भुगतान तो नहीं किया गया है व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. (क) पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों हेतु जारी ₹0.41 लाख के मस्ट्रोलों का कालातीत हो जाने के बाद भुगतान करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 102(7) के अनुसार मस्ट्रोल की भुगतान नहीं की गयी राशियों को रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत 6 माह की अवधि तक इस प्रकार के भुगतान को किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए परंतु सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा

वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्यों हेतु जारी किए गए मस्ट्रोलों का भुगतान 2 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात वर्ष 2022-23 में किया गया था। मस्ट्रोलों की जांच में पाया गया कि न ही मस्ट्रोलों में कार्य करने की नयी अवधि दर्शाई गयी थी तथा न ही उस कार्य/मस्ट्रोल में देरी से भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया गया था व न ही देरी से भुगतान करने के सम्बंध में उचित सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी थी जिस कारण सहायक दस्तावेज़ न होने के कारण उपरोक्त भुगतान अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है।

क्रम संख्या	निधि	वाउचर संख्या / दिनांक	मस्ट्रोल संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य करने की अवधि	भुगतान की तिथि	भुगतान की गयी राशि
1	VKVNY	39/28-05-22	8109/03-11-21	निर्माण किचन शैड क्षेत्रपाल शालंग	01.02.21 से 20.02.21	28-05-2022	17000
2	SDRF	42/28-05-22	8045/27.06.20	निर्माण/मुरम्मत रास्ता मदन लाल के घर से लाल चंद के घर तक गाँव ग्रामग	01.07.20 से 21.07.20	28-05-2022	24250
	Total						**41250**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे में विभागीय स्तर पर अपेक्षित जांच की जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा । अत : इस प्रकार के अन्य भुगतानों की जाँच विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उचित सक्षम अधिकारी से देरी से भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से

भुगतान की गयी राशि की वसूली करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर द्वारा निर्माण सामग्री की आपूर्ति के एवज में फॉर्म 'X' अथवा 'W' प्रस्तुत न करने के कारण राजकोष को सम्भावित ₹0.95 लाख की हानि

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध स्रोत से सामग्री की आपूर्ति के लिए माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा फॉर्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी नहीं की जाएगी । अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर/आपूर्तिकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को **₹95211.00** का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (10)** में दिया गया है । साथ ही साथ राजकीय कोष को भी हानि हुई है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार /सप्लायर से रॉयल्टी की राशि अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक नहीं वसूली गयी थी जिसे संबन्धित ठेकेदार /सप्लायर से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति वैध स्रोत से सुनिश्चित करने के लिए माइनिंग अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र/फॉर्म 'X' अथवा 'W' प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.16 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान करने बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु बिलों का भुगतान किया गया था । जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/संविदाकार के द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । परंतु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹ 15959** की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण (**परिशिष्ट 11)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(घ) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹0.50 लाख का अधिक भुगतान करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण

अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति, फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अन्तरराज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 – अन्तरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है । सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों को करने हेतु ₹1939274.00 की राशि भुगतान किया गया था इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर **₹49858.00** की राशि की जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण **परिशिष्ट (12)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत: उपरोक्त प्रकरण को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (double attendance) लगाने के कारण ₹0.14 लाख अनियमित व अनुचित लाभ प्रदान करने बारे :-

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही तिथि में विभिन्न कार्यों हेतु मस्ट्रोल जारी किए गये थे जिसमें काम करने वाले मजदूरों को एक ही तिथि में एक

से अधिक मस्ट्रोल में हाजिरी दर्ज की गयी थी जबकि एक समय में कोई भी व्यक्ति एक ही कार्य में उपस्थित हो सकता है जिसका विवरण संलग्न है । इस प्रकार पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को एक समय में एक से अधिक कार्यों में उपस्थित होने के कारण **₹14265.00** का अनियमित व अनुचित भुगतान किया गया था जिसकी जाँच ग्राम पंचायत द्वारा न ही मस्ट्रोल जारी करते समय की गयी तथा न ही मस्ट्रोल का भुगतान करते समय की गई। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (doubleattendance) के लाभ प्रदान किए गए जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के प्रयास को भी दर्शाता है। उक्त मामले में नियमानुसार कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिसका विवरण विवरण निम्न प्रकार से है:-

निधि का नाम	मस्ट्रोल संख्या	मस्ट्रोल जारी करने की तारीख	कार्य का नाम	व्यक्ति का नाम	कार्य करने की अवधि	मस्ट्रोल में उपस्थित दिनों की संख्या	दोहरी हाजरी बाले दिनों की संख्या	भुगतान दर	भुगतान राशि
BASP	2702	27-05-2022	निर्माण लिंक रोड व ब्रेस्ट वॉल शालंग	श्री राम कुमार मांझी पुत्र श्री सुलेमान मांझी	28.05.22 से 11.06.2022 तक	15 दिन			
				श्री नीरत राम पुत्र श्री बालक राम	28.05.22 से 11.06.2022 तक	15 दिन			
				श्री राकेश कुमार पुत्र श्री डाबे राम	28.05.22 से 11.06.2022 तक	15 दिन			
VKVNY	2703	27-05-2022	निर्माण पक्का रास्ता नजदीक सामुदायिक भवन शालंग	श्री राम कुमार मांझी पुत्र श्री सुलेमान मांझी	28.05.22 से 11.06.2022 तक	15 दिन	15 दिन	391	**5865**
				श्री नीरत राम पुत्र श्री बालक राम	28.05.22 से 11.06.2022 तक	15 दिन	15 दिन	350	**5250**
				श्री राकेश कुमार पुत्र श्री डाबे राम	28.05.22 से 11.06.2022 तक	9 दिन	9 दिन	350	**3150**
कुल योग									**14265**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत: इन कार्यों की जाँच पंचायत स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इन व्यक्तियों/ मजदूरों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य की भुगतान राशि ही प्रदान की जाए तथा अतिरिक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. पंचायत के वार्ड सदस्यों द्वारा मनरेगा निधि तथा पंचायत मीटिंग में दोहरी हाजिरी लगाने के कारण ₹554 की राशि का अधिक भुगतान करने बारे।

निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के कार्यालय पत्र संख्या पी०सी०-एच० (1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 में स्पष्ट किया है कि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजिरी लगाने का प्रकरण आता है ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलम्बन व पद से हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के बार्ड सदस्यों द्वारा एक ही दिन में मनरेगा निधि में तथा पंचायत मीटिंग में उपस्थिति दर्ज की गयी थी जिस कारण पंचायत सदस्यों को दोहरे लाभ प्रदान किए थे।

Sr. No.	Name of panchayat Member	Panchayat Meeting Date	Mustrol No.	Mustrol Date	Days in Which Double atttandance marked	Rate	Amount
1	Smt. Poonam Thakur	28.04.2023	191	28.04.23	1	154	154

2	Smt. Puni Devi	03.09.2023	4164	03.09.23	1	200	200
3	Smt. Puni Devi	08.09.2023	4164	08.09.23	1	200	200
	Total						**554**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनाँक 23.10.2024 द्वारा द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि की वसूली करके निधि में जमा कर दिया जाएगा तथा जिसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : मनरेगा निधि से की गयी **₹ 554** के अधिक भुगतान की वसूली करने के उपरांत संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

12. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल प्रिंटर व लेपटॉप ही दर्ज किया गया था तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे फ़र्निचर, टेबल, कुर्सी, क्रॉकरी, हीटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया

था। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जोकि गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 02 दिनाँक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में शीघ्र ही दर्ज किया जाएगा। अत: पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र ही दर्ज करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि होने बारे।

अभिलेखों की नमूना पड़ताल में पाया गया कि ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र ०) में भू-राजस्व की जो राशि वर्ष में दो बार खरीफ फसल तथा रवी फसल के दौरान लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती है परंतु अभिलेखो की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत को वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में भू- राजस्व से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है जोकि अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है व साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग

को भी दर्शाता है । पड़ताल में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है । जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी अंकेक्षण के दौरान जांच की जा सके। अत: भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण व वर्ष 2022-23 व 2023-24 में भू राजस्व की राशि की प्राप्ति न करने के कारणो को भी स्पष्ट किया जाए ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 03 दिनाँक 15.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भू-राजस्व से प्राप्त आय का मामला नंबरदार से व संबन्धित विभाग में उठाया जाएगा व वर्ष 2022-23 व 2023-24 की बकाया राशि की वसूली शीघ्र की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत: भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण स्पष्ट किये जाए तथा शेष राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

14 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं

किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। अतः सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
7	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16. लघु आपति विवरणिकाः-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17. निष्कर्षः-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

16 DEC 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

6046 – 6050 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3)25/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 DEC 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष नं0–0177–2626670

का0/DD

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1.	पैरा-3	निर्णीत	ड्राफ्ट संख्या 001804 दिनांक 20.06.2020 के दृष्टिगत निर्णीत
2.	पैरा-4	अनिर्णीत	
3.	पैरा-4.1	अनिर्णीत	
4.	पैरा-4.2	अनिर्णीत	
5.	पैरा-5	निर्णीत	रसीद संख्या 009161 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ₹600 की वसूली के दृष्टिगत निर्णीत
6.	पैरा-6	निर्णीत	निर्णित व पुनः प्रारूपित
7.	पैरा-7	अनिर्णीत	
8.	पैरा-8	अनिर्णीत	
9.	पैरा-9	अनिर्णीत	
10.	पैरा-10	अनिर्णीत	
11.	पैरा-11	अनिर्णीत	
12.	पैरा-12	अनिर्णीत	
13.	पैरा-13	निर्णीत	निर्णित व पुनः प्रारूपित
14.	पैरा-13.1	अनिर्णीत	
15.	पैरा-14	अनिर्णीत	

16.	पैरा-15	अनिर्णीत	
17.	पैरा-16	अनिर्णीत	
18.	पैरा-17	अनिर्णीत	
19.	पैरा-18	अनिर्णीत	
20.	पैरा-19	अनिर्णीत	
21.	पैरा-20	अनिर्णीत	
22.	पैरा-21	अनिर्णीत	
23.	पैरा-22	निर्णीत	निर्णित व पुनः प्रारूपित

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	23
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	14
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	5
अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	32

परिशिष्ट संख्या - 2
पैरा संख्या - 5(i)

Financial position of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2876928.00	5759956.00	8636884.00	6434467.00	2202417.00
2023-24	2202417.00	5156725.00	7359142.00	4858070.00	2501072.00

Note:- Opening Balance taken as per Bank Pass Book.

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

JA

कार्यालय ग्राम पंचायत डूखरीगाहर

विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू

Sr. no	Bank A/C No	Branch	Head	C.B
1	50100344173541	HDFC Kullu	15FC	3045825.00
2	20006006382	KCCB Bhutti LAG Valley	Own,BASP,SDRF.VKVNY,SDP,MPLad,MMGPY, 5th State	2190795.50
3	100200902200	Indulnd bank Bhunter	RGSA	338634.00
4	50100344174709	HDFC Kullu	SBM	893.00
5	50067451761	KCCB Bhutti Lag ValLey	14FC	14.00
6	50100344173952	HDFC Kullu	14 FC	10.00
	Total			**5576171.50**

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

परिशिष्ट संख्या-4
पैरा संख्या - 4(ii)

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1456515.00	1996885.00	3453400.00	509611.00	2943789.00
2023-24	2943789.00	530626.00	3474415.00	434830.00	3039585.00

Note: Opening Balance taken as per Bank Passbook

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

J.A.

32

परिशिष्ट संख्या - 5
पैरा संख्या - 4 (iii)

Financial position of SBM (SNA A/c) of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0.00	671605.00	671605.00	671605.00	0.00
2023-24	0.00	371448.00	371448.00	371448.00	0.00

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

33

परिशिष्ट संख्या - 6
पैरा संख्या - 4 (iv)

Financial position of MGNREGA of Gram Panchyat Dunkhrigahar					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	0.00	1930348.16	1930348.16	1930348.16	0.00
2023-24	0.00	1826519.35	1826519.35	1826519.35	0.00

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

34

परिशिष्ट संख्या - 7
पैरा संख्या - 6 (क)

कार्यालय ग्राम पंचायत डूखरीगाहर

विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू

Detail of House Tax w. e.f. 04/2022 to 03/2024

Year	Number of House Holds	Ret Per House Hold	Opening Balance	Due Amount	Total	Received Amount	Balance Amount
2022-23	494	50	91450	24700	116150	36600	79550
2023-24	496	50	79550	24800	104350	50650	53700

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

परिशिष्ट संख्या 8
पैरा संख्या - 6 (घ)

ग्राम पंचायत डूखरीगाहर

विकास खंड कुल्लू जिला कुल्लू ।

अवधि 1-04-2022 से 31-03-2024 विवाह शुल्क प्राप्ति

क्र0 स0	दिनांक	प्राप्ति का विवरण	राशी
1	30/05/2022	विवाह शुल्क	200
2	09/06/2022	विवाह शुल्क	200
3	13/06/2022	विवाह शुल्क	200
4	20/06/2022	विवाह शुल्क	200
5	02/08/2022	विवाह शुल्क	400
6	02/08/2022	विवाह शुल्क	200
7	08/09/2022	विवाह शुल्क	400
8	15/09/2022	विवाह शुल्क	200
9	31/10/2022	विवाह शुल्क	200
10	28/12/2022	विवाह शुल्क	200
11	05/01/2023	विवाह शुल्क	200
12	04/03/2023	विवाह शुल्क	200
13	06/07/2023	विवाह शुल्क	200
14	20/12/2023	विवाह शुल्क	400
15	02/01/2024	विवाह शुल्क	200
16	27/01/2024	विवाह शुल्क	400
17	27/02/2024	विवाह शुल्क	200
18	08/03/2024	विवाह शुल्क	200
19	19/03/2024	विवाह शुल्क	200
20	23/03/2024	विवाह शुल्क	200
21	26/03/2024	विवाह शुल्क	200
	Total		**5000**

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

परिशिष्ट संख्या - 9
प्रश्न संख्या - 8

ग्राम पंचायत डूखरीगाहर

विकास खंड कुल्लू

पांच लाख से अधिक स्वीकृत राशी की सुचिं

क्र स०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशी
1	नि० दूसरी मंजील दो कमरे राजकीय प्राथमिक पाठशाला डूखरी	500000
2	नि० रोड ग्रामंग से चलाह	700000
3	कार्य पूर्ण त्रिजुगी सराय भवन वार्ड न० 2 ग्रामंग	500000
4	नि० फुट ब्रिज बागा गांब डूखरी	700000
5	नि० फुट ब्रिज फन्याई ग्रामंग	500000
6	नि० अतिरिक्त तल सम्मुदायिक भवन गांब शालंग	500000
	कुल योग	**3400000**

सचिव
ग्राम पंचायत डुंखरीगाहर
विकास खण्ड कुल्लू (हि०प्र०)

परिशिष्ट संख्या -10

पैरा संख्या - 9 (ख)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
General head										
1	Trijugi Trades	3326/25/3/22	Sand	6214.5	150	4.25	1.62	6.88	80	550
2	do		Aggi.	5887.5	150	4.25	1.52	6.45	80	516
3	do	3327/25/3/22	Sand	11715	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
4	do		Aggi.	5571	150	4.25	1.52	6.45	80	516
5	do	3328/25/3/22	Sand	5571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
6	do		Aggi.	5500	150	4.25	1.52	6.45	80	516
7	Sunder Thakur	505/25/22	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
8	do		Aggi.	1640	75	2.12	1.52	3.23	80	258
9	do	504/25/5/22	Sand	7143	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
10	do		Aggi.	4927	225	6.37	1.52	9.68	80	774
11	do	502/24/5/22	Aggi.	3285	150	4.25	1.52	6.45	80	516
12	do	501/24/5/22	Sand	7143	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
13	do		Aggi.	6570	300	8.49	1.52	12.90	80	1032
14	do	501/10/6/22	Sand	7143	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
15	do		Aggi.	3285	150	4.25	1.52	6.45	80	516
16	do	509/10/6/22	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
17	do	510/19/6/22	Sand	17857	750	21.23	1.62	34.38	80	2751
18	do		Aggi.	19710	900	25.47	1.52	38.71	80	3097
19	do	507/10/6/22	Sand	14286	600	16.98	1.62	27.51	80	2201
20	do		Aggi.	6570	300	8.49	1.52	12.90	80	1032
21	do	511/20/6/22	Sand	7143	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
22	do		Aggi.	3285	150	4.25	1.52	6.45	80	516
23	do	515/10/7/22	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
24	do	522/20/9/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
25	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
26	do	531/24/9/22	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
27	do		Aggi.	3285	150	4.25	1.52	6.45	80	516
28	do	523/20/9/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
29	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
30	do	525/20/9/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
31	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
32	do	524/20/9/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
33	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
34	do	526/20/9/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
35	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
36	do	527/20/9/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
37	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
38	do	528/20/9/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
39	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
40	do	530/24/9/22	Brick	59736	5700	0.00	0	0.00	0.05	285
41	do	529/24/9/22	Aggi.	5475	250	7.08	1.52	10.75	80	860
42	do	533/24/9/22	Brick	54055	5258	0.00	0	0.00	0.05	263
43	do	532/24/9/22	Sand	6762	284	8.04	1.62	13.02	80	1042
44	do		Aggi.	2737	125	3.54	1.52	5.38	80	430
45	do	539/11/10/22	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
46	do	541/11/10/22	Brick	7336	700 No	0.00	0	0.00	0.05	35
47	do	547/11/11/22	Sand	4523	190	5.38	1.62	8.71	80	697
48	do	546/11/11/22	Sand	2619	110	3.11	1.62	5.04	80	403
49	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
50	do	552/10-12-22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
51	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688

52	do	551/10/12/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
53	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
54	do	550/10-12-22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
55	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
56	do	549/10/12/22	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
57	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
58	do	557/10/01/23	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
59	do		Aggi.	1314	60	1.70	1.52	2.58	80	206
60	do	558/10/01/23	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
61	do		Aggi.	1314	60	1.70	1.52	2.58	80	206
62	do	559/10/01/23	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
63	do		Aggi.	1314	60	1.70	1.52	2.58	80	206
64	do	560/10/1/23	Sand	4762	200	5.66	1.62	9.17	80	734
65	do		Aggi.	1314	60	1.70	1.52	2.58	80	206
66	do	563/24/1/23	Brick	20800	1600	0.00	0	0.00	0.05	80
67	do	561/24/01/23	Sand	2857	120	3.40	1.62	5.50	80	440
68	do		Aggi.	2628	120	3.40	1.52	5.16	80	413
69	do	562/24/1/23	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
70	do		Aggi.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
71	do	564/10/2/23	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
72	do		Aggi.	766	35	0.99	1.52	1.51	80	120
73	do		Bricks	2000	200 No	0.00	0	0.00	0.05	10
74	do	570/25/3/23	Sand	11905	500	14.15	1.62	22.92	80	1834
75	do		Aggi.	2190	100	2.83	1.52	4.30	80	344
76	do	571/28/3/23	sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
77	do		Aggi.	3285	150	4.25	1.52	6.45	80	516
78	do	572/25/3/23	Sand	3571	150	4.25	1.62	6.88	80	550
79	do		Aggi.	3285	100	2.83	1.52	4.30	80	344
80	do	568/26/3/23	Sand	4762	200	5.66	1.62	9.17	80	734
81	do		Aggi.	1095	50	1.42	1.52	2.15	80	172
82	do	569/25/3/23	Sand	4762	200	5.66	1.62	9.17	80	734
83	do		Aggri.	2190	100	2.83	1.52	4.30	80	344
84	do	579/28/4/23	Sand	3120	130	3.68	1.62	5.96	80	477
85	do		Aggri.	660	30	0.85	1.52	1.29	80	103
86	do	582/11/6/23	Sand	32400	1350	38.21	1.62	61.89	80	4951
87	do		Aggri.	6600	300	8.49	1.52	12.90	80	1032
88	do	567/23/2/23	Sand	2381	100	2.83	1.62	4.58	80	367
89	do		Aggri.	4380	200	5.66	1.52	8.60	80	688
90	do	584/25/8/23	Sand	3600	150	4.25	1.62	6.88	80	550
91	do		Aggri.	3300	150	4.25	1.52	6.45	80	516
92	do	583/2/8/23	Sand	1800	75	2.12	1.62	3.44	80	275
93	do		Aggri.	1650	75	2.12	1.52	3.23	80	258
94	do	585/25/8/23	Sand	10800	450	12.74	1.62	20.63	80	1650
95	do	591/15/11/23	Sand	15960	665	18.82	1.62	30.49	80	2439
96	do		Aggri.	2860	130	3.68	1.52	5.59	80	447
97	do	590/15/11/23	Sand	16080	670	18.96	1.62	30.72	80	2457
98	do		Aggri.	2200	100	2.83	1.52	4.30	80	344
99	do	592/15/1123	Sand	13920	500	14.15	1.62	22.92	80	1834
100	do		Aggri.	3300	150	4.25	1.52	6.45	80	516
101	do	589/15/23	Sand	9360	390	11.04	1.62	17.88	80	1430
102	do		Aggri.	2640	120	3.40	1.52	5.16	80	413
103	do	588/15/11/23	Sand	5760	240	6.79	1.62	11.00	80	880
104	do		Aggri.	880	40	1.13	1.52	1.72	80	138
105	do	586/20/9/23	Sand	3600	150	4.25	1.62	6.88	80	550
106	do		Aggri.	1650	75	2.12	1.52	3.23	80	258
107	do	587/20/9/23	Sand	4320	180	5.09	1.62	8.25	80	660

108	do		Aggri.	1100	50	1.42	1.52	2.15	80	172
109	do	595/25/12/23	Sand	3600	150	4.25	1.62	6.88	80	550
110	do		Aggri.	1100	50	1.42	1.52	2.15	80	172
111	do	594/25/12/23	Sand	3600	150	4.25	1.62	6.88	80	550
112	do		Aggri.	1210	55	1.56	1.52	2.37	80	189
113	do	593/25/12/23	Sand	4200	175	4.95	1.62	8.02	80	642
114	do		Aggri.	4400	200	5.66	1.52	8.60	80	688
115	do	575/8/5/23	Sand	4800	200	5.66	1.62	9.17	80	734
116	do		Aggri.	1650	75	2.12	1.52	3.23	80	258
117	do		Bricks	32000	2000	0.00	0	0.00	0.05	100
118	do	576/8/5/23	Sand	3600	150	4.25	1.62	6.88	80	550
119	do		Aggri.	3300	150	4.25	1.52	6.45	80	516
120	do	577/8/5/23	Sand	2880	120	3.40	1.62	5.50	80	440
121	do		Aggri.	4820	220	6.23	1.52	9.46	80	757
122	do	578/8/5/23	Sand	4800	200	5.66	1.62	9.17	80	734
123	do		Aggri.	7700	350	9.91	1.52	15.06	80	1204
124	do	535/25/9/23	Sand	7143	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
125	do		Aggri.	2190	100	2.83	1.52	4.30	80	344
126	do	536/26/9/23	Bricks	23056	2200	0.00	0	0.00	0.05	110
127	do	534/25/923	Sand	7143	300	8.49	1.62	13.75	80	1100
128	do		Aggri.	2190	100	2.83	1.52	4.30	80	344
129	do	537/26/9/23	Bricks	23056	2200	0.00	0	0.00	0.05	110
130	do	540/11/10/22	Sand	4762	200	5.66	1.62	9.17	80	734
131	do		Aggri.	8760	400	11.32	1.52	17.21	80	1377
132	do	545/8/10/22	Sand	4762	200	5.66	1.62	9.17	80	734
133	do		Aggri.	8760	400	11.32	1.52	17.21	80	1377
134	do	553/10/12/22	Bricks	19200	1600	0.00	0	0.00	0.05	80
135	do	554/10/12/22	Sand	10714	450	12.74	1.62	20.63	80	1650
136	do		Aggri.	5475	250	7.08	1.52	10.75	80	860
137	do	566/23/02/23	Aggri.	8760	400	11.32	1.52	17.21	80	1377
	Total									**95211**

Santosh Kumar
Junior Auditor

परिशिष्ट संख्या - 11
पैरा संख्या - 9(ग)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	आय कर की दर	राशि
General head						
1	Trijugi Trades	3326/25/3/22	Sand	6215	2%	124
2	do		Aggi.	5888	2%	118
3	do		Paver	51297	2%	1026
4	do	3327/25/3/22	Sand	11715	2%	234
5	do		Aggi.	5571	2%	111
6	do	3328/25/3/22	Sand	5571	2%	111
7	do		Aggi.	5500	2%	110
8	Sunder Thakur	505/25/22	Sand	3571	1%	36
9	do	do	Aggi.	1640	1%	16
10	do	504/25/5/22	Sand	7143	1%	71
11	do		Aggi.	4927	1%	49
12	do		Freight	11025	1%	110
13	do	502/24/5/22	Aggi.	3285	1%	33
14	do		Freight	3600	1%	36
15	do				1%	0
16	do	501/24/5/22	Sand	7143	1%	71
17	do		Aggi.	6570	1%	66
18	do		Freight	13501	1%	135
19	do	501/10/6/22	Sand	7143	1%	71
20	do		Aggi.	3285	1%	33
21	do		Freight	10050	1%	101
22	do	509/10/6/22	Sand	3571	1%	36
23	do		Freight	3149	1%	31
24	do	510/19/6/22	Sand	17857	1%	179
25	do		Aggi.	19710	1%	197
26	do		Freight	34654	1%	347
27	do	507/10/6/22	Sand	14286	1%	143
28	do		Aggi.	6570	1%	66
29	do		Freight	20101	1%	201
30	do	511/20/6/22	Sand	7143	1%	71
31	do		Aggi.	3285	1%	33
32	do		Freight	10050	1%	101
33	do	515/10/7/22	Sand	3571	1%	36
34	do		Freight	3449	1%	34
35	do	522/20/9/22	Sand	2381	1%	24
36	do		Aggi.	4380	1%	44
37	do		Freight	7100	1%	71
38	do	531/24/9/22	Sand	3571	1%	36
39	do		Aggi.	3285	1%	33
40	do		Freight	6856	1%	69
41	do	523/20/9/22	Sand	2381	1%	24
42	do		Aggi.	4380	1%	44
43	do		Freight	6761	1%	68
44	do	525/20/9/22	Sand	2381	1%	24
45	do		Aggi.	4380	1%	44
46	do		Freight	7100	1%	71
47	do	524/20/9/22	Sand	2381	1%	24
48	do		Aggi.	4380	1%	44
49	do		Freight	6800	1%	68
50	do				1%	0
51	do	526/20/9/22	Sand	2381	1%	24

52	do		Aggi.	4380	1%	44
53	do		Freight	6800	1%	68
54	do	527/20/9/22	Sand	2381	1%	24
55	do		Aggi.	4380	1%	44
56	do		Freight	6800	1%	68
57	do	528/20/9/22	Sand	2381	1%	24
58	do		Aggi.	4380	1%	44
59	do		Freight	6800	1%	68
60	do	530/24/9/22	Brick	59736	1%	597
61	do		Freight	5700	1%	57
62	do	529/24/9/22	Aggi.	5475	1%	55
63	do		Freight	5251	1%	53
64	do	533/24/9/22	Brick	54055	1%	541
65	do		Freight	5137	1%	51
66	do	532/24/9/22	Sand	6762	1%	68
67	do		Aggi.	2737	1%	27
68	do		Freight	9123	1%	91
69	do	539/11/10/22	Sand	3571	1%	36
70	do		Freight	3300	1%	33
71	do	541/11/10/22	Brick	7336	1%	73
72	do		Freight	697	1%	7
73	do	547/11/11/22	Sand	4523	1%	45
74	do		Freight	3989	1%	40
75	do	546/11/11/22	Sand	2619	1%	26
76	do		Aggi.	4380	1%	44
77	do		Freight	6510	1%	65
78	do	552	Sand	2381	1%	24
79	do		Aggi.	4380	1%	44
80	do		Freight	7100	1%	71
81	do	551/10/12/22	Sand	2381	1%	24
82	do		Aggi.	4380	1%	44
83	do		Freight	7100	1%	71
84	do	550/10-12-2022	Sand	2381	1%	24
85	do		Aggi.	4380	1%	44
86	do		Freight	7100	1%	71
87	do	549/10/12/22	Sand	2381	1%	24
88	do		Aggi.	4380	1%	44
89	do		Freight	7100	1%	71
90	do	557/10/01/23	Sand	3571	1%	36
91	do		Aggi.	1314	1%	13
92	do		Freight	4680	1%	47
93	do	558/10/01/23	Sand	3571	1%	36
94	do		Aggi.	1314	1%	13
95	do		Freight	4680	1%	47
96	do	559/10/01/23	Sand	3571	1%	36
97	do		Aggi.	1314	1%	13
98	do		Freight	4680	1%	47
99	do	560/10/1/23	Sand	4762	1%	48
100	do		Aggi.	1314	1%	13
101	do		Freight	6040	1%	60
102	do	563/24/1/23	Brick	20800	1%	208
103	do	561/24/01/23	Sand	2857	1%	29
104	do		Aggi.	2628	1%	26
105	do		Freight	5400	1%	54

106	do	562/24/1/23	Sand	2381	1%	24
107	do		Aggi.	4380	1%	44
108	do		Freight	6800	1%	68
109	do	564/10/2/23	Sand	3571	1%	36
110	do		Aggi.	766	1%	8
111	do		Brickes	200	1%	2
112	do		Freight	4605	1%	46
113	do	570/25/3/23	Sand	11905	1%	119
114	do		Aggi.	2190	1%	22
115	do		Freight	13300	1%	133
116	do	571/28/3/23	sand	3571	1%	36
117	do		Aggi.	3285	1%	33
118	do	572/25/3/23	Sand	3571	1%	36
119	do		Aggi.	3285	1%	33
120	do		Freight	7050	1%	71
121	do	568/26/3/23	Sand	4762	1%	48
122	do		Aggi.	1095	1%	11
123	do		Freight	5250	1%	53
124	do	569/25/3/23	Sand	4762	1%	48
125	do		Aggri.	2190	1%	22
126	do		Freight	6300	1%	63
127	do	579/28/4/23	Sand	3120	1%	31
128	do		Aggri.	660	1%	7
129	do		Freight	3841	1%	38
130	do	582/11/6/23	Sand	32400	1%	324
131	do		Aggri.	6600	1%	66
132	do		Freight	39600	1%	396
133	do	567/23/2/3	Sand	2381	1%	24
134	do		Aggri.	4380	1%	44
135	do		Freight	6761	1%	68
136	do	584/25/8/23	Sand	3600	1%	36
137	do		Aggri.	3300	1%	33
138	do		Freight	7305	1%	73
139	do	583/2/8/23	Sand	1800	1%	18
140	do		Aggri.	1650	1%	17
141	do		Freight	7447	1%	74
142	do	585/25/8/23	Sand	10800	1%	108
143	do		Freight	10790	1%	108
144	do	591/15/11/23	Sand	15960	1%	160
145	do		Aggri.	2860	1%	29
146	do		Freight	2094	1%	21
147	do	590/15/11/23	Sand	16080	1%	161
148	do		Aggri.	2200	1%	22
149	do		Freight	20261	1%	203
150	do	592/15/1123	Sand	13920	1%	139
151	do		Aggri.	3300	1%	33
152	do		Freight	16594	1%	166
153	do	589/15/23	Sand	9360	1%	94
154	do		Aggri.	2640	1%	26
155	do		Freight	12270	1%	123
156	do	588/15/1123	Sand	5760	1%	58
157	do		Aggri.	880	1%	9
158	do		Freight	6708	1%	67
159	do	586/20/9/23	Sand	3600	1%	36
160	do		Aggri.	1650	1%	17

161	do		Freight	5437	1%	54
162	do	587/20/9/23	Sand	4320	1%	43
163	do		Aggri.	1100	1%	11
164	do		Freight	5529	1%	55
165	do	595/25/1223	Sand	3600	1%	36
166	do		Aggri.	1100	1%	11
167	do	594/25/12/23	Sand	3600	1%	36
168	do		Aggri.	1210	1%	12
169	do	593/25/12/23	Sand	4200	1%	42
170	do		Aggri.	4400	1%	44
171	do		Freight	8095	1%	81
172	do	575/8/5/23	Sand	4800	1%	48
173	do		Aggri.	1650	1%	17
174	do		Brecks	32000	1%	320
175	do		Freight	16139	1%	161
176	do	576/8/5/23	Sand	3600	1%	36
177	do		Aggri.	3300	1%	33
178	do		Freight	7305	1%	73
179	do	577/8/5/23	Sand	2880	1%	29
180	do		Aggri.	4820	1%	48
181	do		Freight	16440	1%	164
182	do	578/8/5/23	Sand	4800	1%	48
183	do		Aggri.	7700	1%	77
184	do		Freight	13475	1%	135
185	do	535/25//923	Sand	7143	1%	71
186	do		Aggri.	2190	1%	22
187	do		Freight	8400	1%	84
188	do	536/26/9/23	Brecks	23056	1%	231
189	do		Freight	2191	1%	22
190	do	534/25/923	Sand	7143	1%	71
191	do		Aggri.	2190	1%	22
192	do		Freight	8900	1%	89
193	do	537/26/9/23	Brecks	23056	1%	231
194	do	540/11/10/22	Sand	4762	1%	48
195	do		Aggri.	8760	1%	88
196	do		Freight	13601	1%	136
197	do	545/8/10/22	Sand	4762	1%	48
198	do		Aggri.	8760	1%	88
199	do		Freight	13601	1%	136
200	do	553/10/12/22	Brecks	19200	1%	192
201	do	554/10/12/22	Sand	10714	1%	107
202	do		Aggri.	5475	1%	55
203	do		Freight	14701	1%	147
204	do	56623/02/23	Sand	4762	1%	48
205	do		Aggri.	8760	1%	88
206	do		Freight	12601	1%	126
	Total					**15959**

44

Santosh Kumar
Junior Auditor

परिशिष्ट संख्या - 12
पैरा संख्या - 9(ख)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	GST की दर	राशि
General head						
1	Trijugi Trades	3326/25/3/22	Sand	6215	2%	124
2	do		Aggi.	5888	2%	118
3	do		Paver	51297	2%	1026
4	do	3327/25/3/22	Sand	11715	2%	234
5	do		Aggi.	5571	2%	111
6	do	3328/25/3/22	Sand	5571	2%	111
7	do		Aggi.	5500	2%	110
8	Namdhari Udyog	755/8/622	Joists, channel ,Angle&sheets	288497	2%	5770
9	do	754/8/6/22	Joists, channel ,Angle&sheets	213755	2%	4275
10	do	575/25/05/22	Joists, channel ,Angle&sheets	86554	2%	1731
11	Sunder Thakur	505/25/22	Sand	3571	2%	71
12	do	do	Aggi.	1640	2%	33
13	do	504/25/5/22	Sand	7143	2%	143
14	do		Aggi.	4927	2%	99
15	do		Freight	11025	2%	221
16	do	502/24/5/22	Aggi.	3285	2%	66
17	do		Freight	3600	2%	72
18	do	501/24/5/22	Sand	7143	2%	143
19	do		Aggi.	6570	2%	131
20	do		Freight	13501	2%	270
21	do	501/10/6/22	Sand	7143	2%	143
22	do		Aggi.	3285	2%	66
23	do		Freight	10050	2%	201
24	do	509/10/6/22	Sand	3571	2%	71
25	do		Freight	3149	2%	63
26	do	510/19/6/22	Sand	17857	2%	357
27	do		Aggi.	19710	2%	394
28	do		Freight	34654	2%	693
29	do	507/10/6/22	Sand	14286	2%	286
30	do		Aggi.	6570	2%	131
31	do		Freight	20101	2%	402
32	do	511/20/6/22	Sand	7143	2%	143
33	do		Aggi.	3285	2%	66
34	do		Freight	10050	2%	201
35	do	515/10/7/22	Sand	3571	2%	71
36	do		Freight	3449	2%	69
37	do	522/20/9/22	Sand	2381	2%	48
38	do		Aggi.	4380	2%	88
39	do		Freight	7100	2%	142
40	do	531/24/9/22	Sand	3571	2%	71
41	do		Aggi.	3285	2%	66
42	do		Freight	6856	2%	137
43	do	523/20/9/22	Sand	2381	2%	48
44	do		Aggi.	4380	2%	88
45	do		Freight	6761	2%	135
46	do	525/20/9/22	Sand	2381	2%	48
47	do		Aggi.	4380	2%	88
48	do		Freight	7100	2%	142
49	do	524/20/9/22	Sand	2381	2%	48

50	do		Aggi.	4380	2%	88
51	do		Freight	6800	2%	136
52	do	526/20/9/22	Sand	2381	2%	48
53	do		Aggi.	4380	2%	88
54	do		Freight	6800	2%	136
55	do	527/20/9/22	Sand	2381	2%	48
56	do		Aggi.	4380	2%	88
57	do		Freight	6800	2%	136
58	do	528/20/9/22	Sand	2381	2%	48
59	do		Aggi.	4380	2%	88
60	do		Freight	6800	2%	136
61	do	530/24/9/22	Brick	59736	2%	1195
62	do		Freight	5700	2%	114
63	do	529/24/9/22	Aggi.	5475	2%	110
64	do		Freight	5251	2%	105
65	do	533/24/9/22	Brick	54055	2%	1081
66	do		Freight	5137	2%	103
67	do	532/24/9/22	Sand	6762	2%	135
68	do		Aggi.	2737	2%	55
69	do		Freight	9123	2%	182
70	do	539/11/10/22	Sand	3571	2%	71
71	do		Freight	3300	2%	66
72	do	541/11/10/22	Brick	7336	2%	147
73	do		Freight	697	2%	14
74	do	547/11/11/22	Sand	4523	2%	90
75	do		Freight	3989	2%	80
76	do	546/11/11/22	Sand	2619	2%	52
77	do		Aggi.	4380	2%	88
78	do		Freight	6510	2%	130
79	do	552	Sand	2381	2%	48
80	do		Aggi.	4380	2%	88
81	do		Freight	7100	2%	142
82	do	551/10/12/22	Sand	2381	2%	48
83	do		Aggi.	4380	2%	88
84	do		Freight	7100	2%	142
85	do	550/10-12-2022	Sand	2381	2%	48
86	do		Aggi.	4380	2%	88
87	do		Freight	7100	2%	142
88	do	549/10/12/22	Sand	2381	2%	48
89	do		Aggi.	4380	2%	88
90	do		Freight	7100	2%	142
91	do	557/10/01/23	Sand	3571	2%	71
92	do		Aggi.	1314	2%	26
93	do		Freight	4680	2%	94
94	do	558/10/01/23	Sand	3571	2%	71
95	do		Aggi.	1314	2%	26
96	do		Freight	4680	2%	94
97	do	559/10/01/23	Sand	3571	2%	71
98	do		Aggi.	1314	2%	26
99	do		Freight	4680	2%	94
100	do	560/10/1/23	Sand	4762	2%	95
101	do		Aggi.	1314	2%	26
102	do		Freight	6040	2%	121
103	do	563/24/1/23	Brick	20800	2%	416
104	do	561/24/01/23	Sand	2857	2%	57

105	do		Aggi.	2628	2%	53
106	do		Freight	5400	2%	108
107	do	562/24/1/23	Sand	2381	2%	48
108	do		Aggi.	4380	2%	88
109	do		Freight	6800	2%	136
110	do	564/10/2/23	Sand	3571	2%	71
111	do		Aggi.	766	2%	15
112	do		Brickes	200	2%	4
113	do		Freight	4605	2%	92
114	do	570/25/3/23	Sand	11905	2%	238
115	do		Aggi.	2190	2%	44
116	do		Freight	13300	2%	266
117	do	571/28/3/23	sand	3571	2%	71
118	do		Aggi.	3285	2%	66
119	do	572/25/3/23	Sand	3571	2%	71
120	do		Aggi.	3285	2%	66
121	do		Freight	7050	2%	141
122	do	568/26/3/23	Sand	4762	2%	95
123	do		Aggi.	1095	2%	22
124	do		Freight	5250	2%	105
125	do	569/25/3/23	Sand	4762	2%	95
126	do		Aggri.	2190	2%	44
127	do		Freight	6300	2%	126
128	do	579/28/4/23	Sand	3120	2%	62
129	do		Aggri.	660	2%	13
130	do		Freight	3841	2%	77
131	do	582/11/6/23	Sand	32400	2%	648
132	do		Aggri.	6600	2%	132
133	do		Freight	39600	2%	792
134	do	567/23/2/3	Sand	2381	2%	48
135	do		Aggri.	4380	2%	88
136	do		Freight	6761	2%	135
137	do	584/25/8/23	Sand	3600	2%	72
138	do		Aggri.	3300	2%	66
139	do		Freight	7305	2%	146
140	do	583/2/8/23	Sand	1800	2%	36
141	do		Aggri.	1650	2%	33
142	do		Freight	7447	2%	149
143	do	585/25/8/23	Sand	10800	2%	216
144	do		Freight	10790	2%	216
145	do	591/15/11/23	Sand	15960	2%	319
146	do		Aggri.	2860	2%	57
147	do		Freight	2094	2%	42
148	do	590/15/11/23	Sand	16080	2%	322
149	do		Aggri.	2200	2%	44
150	do		Freight	20261	2%	405
151	do	592/15/1123	Sand	13920	2%	278
152	do		Aggri.	3300	2%	66
153	do		Freight	16594	2%	332
154	do	589/15/23	Sand	9360	2%	187
155	do		Aggri.	2640	2%	53
156	do		Freight	12270	2%	245
157	do	588/15/1123	Sand	5760	2%	115
158	do		Aggri.	880	2%	18
159	do		Freight	6708	2%	134
160	do	586/20/9/23	Sand	3600	2%	72

161	do		Aggri.	1650	2%	33
162	do		Freight	5437	2%	109
163	do	587/20/9/23	Sand	4320	2%	86
164	do		Aggri.	1100	2%	22
165	do		Freight	5529	2%	111
166	do	595/25/1223	Sand	3600	2%	72
167	do		Aggri.	1100	2%	22
168	do	594/25/12/23	Sand	3600	2%	72
169	do		Aggri.	1210	2%	24
170	do	1008/20/2/24	Wooden	400000	2%	8000
171	do	593/25/12/23	Sand	4200	2%	84
172	do		Aggri.	4400	2%	88
173	do		Freight	8095	2%	162
174	do	575/8/5/23	Sand	4800	2%	96
175	do		Aggri.	1650	2%	33
176	do		Brecks	32000	2%	640
177	do		Freight	16139	2%	323
178	do	576/8/5/23	Sand	3600	2%	72
179	do		Aggri.	3300	2%	66
180	do		Freight	7305	2%	146
181	do	577/8/5/23	Sand	2880	2%	58
182	do		Aggri.	4820	2%	96
183	do		Freight	16440	2%	329
184	do	578/8/5/23	Sand	4800	2%	96
185	do		Aggri.	7700	2%	154
186	do		Freight	13475	2%	270
187	do	535/25//923	Sand	7143	2%	143
188	do		Aggri.	2190	2%	44
189	do		Freight	8400	2%	168
190	do	536/26/9/23	Brecks	23056	2%	461
191	do		Freight	2191	2%	44
192	do	534/25/923	Sand	7143	2%	143
193	do		Aggri.	2190	2%	44
194	do		Freight	8900	2%	178
195	do	537/26/9/23	Brecks	23056	2%	461
196	do	540/11/10/22	Sand	4762	2%	95
197	do		Aggri.	8760	2%	175
198	do		Freight	13601	2%	272
199	do	545/8/10/22	Sand	4762	2%	95
200	do		Aggri.	8760	2%	175
201	do		Freight	13601	2%	272
202	do	553/10/12/22	Brecks	19200	2%	384
203	do	554/10/12/22	Sand	10714	2%	214
204	do		Aggri.	5475	2%	110
205	do		Freight	14701	2%	294
206	do	56623/02/23	Sand	4762	2%	95
207	do		Aggri.	8760	2%	175
208	do		Freight	12601	2%	252
	Total			**2492901**		**49858**

48

Santosh Kumar
Junior Auditor